न्यायालयः- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-19, बाराबंकी।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 24686/2026

CNR UPBB040246932026

सरकार बनाम मो० अकील आदि।

आदेश

दिनांक-02.05.2026

मुकदमा अपराध संख्या-983/2009, अन्तर्गत धारा- 379, 411 भा०दं०वि०, थाना- सफदरगंज, जिला बाराबंकी के मामले में अभियुक्त सरफुद्दीन द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त गैर जमानतीय अधिपत्र से दिनांक 01.05.2026 से जिला कारागार बाराबंकी में निरूद्ध है।

अभियुक्त का कथन है कि उक्त अभियोग में झूठा एवं गलत फंसाया गया है। वह पूर्णतया निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध गैर जमानतीय प्रकृति का व जमानत का प्रबल विरोध किया गया है।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर धारा- 379, 411 भा०दं०वि० का आक्षेप है। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। उपरोक्त मामले में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त गैर जमानतीय अधिपत्र से दिनांक 01.05.2026 से जिला कारागार बाराबंकी में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा 20,000/- रूपये की एक जमानत एवं इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त किया जाये।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या-19, बाराबंकी

JO Code- UP 2248